(101)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1483–पीबीआर/17 विरूद्ध आदेश दिनांक 18–4–2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद प्रकरण कमांक 398/अपील/2015–16.

1– भाई जी आत्मज खेत सिंह गूजर
2– पंचम आत्मज मालक गूजर
निवासीगण ग्राम लांझी
तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– परषोत्तम आत्मज हरिराम गूजर
2– हरकिशन उर्फ भैया जी आत्मज हरिराम गूजर
3– लालसाहब आत्मज हरिराम गूजर
निवासीगण ग्राम लांझी
तहसील पिपरिया जिला होशंगाबाद .....अनावेदकगण

श्री राजेश कुमार जैन, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस.एस. पटेल, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–4–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, पिपरिया जिला होशंगबाद के समक्ष संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम लांझी स्थित खसरा नम्बर 278, 297/1, 296/2 कुल रकबा 4.406 हेक्टेयर अनावेदक कमांक 1 परषोत्तम, खसरा नम्बर 84/1, 84/4, 84/6, 247, 302, 304 कुल रकबा 4.475 हेक्टेयर अनावेदक कमांक 2 हरकिशन उर्फ भैयाजी एवं खसरा

नम्बर 246, 297 कुल रकबा 4.567 हेक्टेयर लाल सहाब के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है । अनावेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन दिनांक 19–5–2014 को कराया गया है, जिसमें खसरा नम्बर 278 के अंश भाग 0.55 डि. पर आवेदक कमांक 1 भाईजी, खसरा नम्बर 279/1 के अंश भाग 1.31 एकड़ पर आवेदक कमांक 2 पंचम, खसरा नम्बर 302 एवं 304 के अंश भाग 0.80 डि. पर हरगोविन्द, खसरा नम्बर 297 के अंश भाग 0.36 डिस. पर जयराम एवं खसरा नम्बर 296/2 के अंश भाग 0.70 डि., खसरा नम्बर 297 के अंश भाग 0.30 डि. पर वहीद खां के अवैधानिक कब्जा पाया गया है । अतः प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदकगण को दिलाया जाये । तहसील न्यायायालय द्वारा द्वारा प्रकरण कमांक 06/अ–70/2014–15 दर्ज कर दिनांक 25–1–2016 को आदेश पारित कर आवेदकगण के विरूद्ध बेदखली का आदेश पारित कर प्रश्नाधीन भूमि का कब्जा अनावेदकगण को सौपे जाने के निर्देश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12–9–2016 को आदेश पारित कर अतिरिक्त तहसीलदार का आदेश निरस्त किया जाकर राजस्व निरीक्षक को निर्देशित किया गया कि उभय पक्ष द्वारा विधिवत सीमांकन की मांग किये जाने पर उभय पक्ष के विवादित सीमा के संबंध में भूमि का सीमांकन पारदर्शिता पूर्वक करें एवं उनकी भूमि की सीमा एवं कब्जे से अवगत करावें तथा नक्शा, फील्डबुक तैयार कर समय–सीमा में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18–4–2017 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर अपील स्वीकार की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत तर्कों पर बिना विचार किये, अभिलेख के विपरीत आदेश पारित करने में अवैधानिकता एवं अनियमितता की गई है । यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमि के तीन खातेदार हैं, परन्तु सीमांकन हेतु एक केवल एक खातेदार अनावेदक कमांक 2 हरकिशन उर्फ भैयाजी द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है, जबकि तीनों खातेदारों को पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना चाहिए था । इसके अतिरिक्त

सीमांकन हेतु चालान की जो प्रति प्रस्तुत की गई है, वह सात वर्ष पुरानी है, अतः सीमांकन की कार्यवाही विधि विरूद्ध होकर शून्यवत है । तर्क में यह भी कहा गया कि सीमांकन की कोई सूचना पड़ोसी कृषकों को नहीं दी गई है, न ही किसी स्वतंत्र साक्षियों एवं कोटवार के साक्ष्य लिये गये । राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी द्वारा मौके पर कोई सीमांकन नहीं कर, घर में बैठकर ही सीमांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है, जिस पर बिना विचार किये आदेश पारित करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में आई साक्ष्य एवं दस्तावेजों का अनदेखा कर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि विधि का सर्वमान्य सिद्धान्त है कि न्यायालय को स्वयं पक्षकार नहीं बनना चाहिए, बल्कि पक्षकारों के मध्य स्थापित विवाद का हल करना चाहिए और मात्र निर्णय करना न होकर, न्याय दान किया जाना दिखना भी चाहिए । उक्त सिद्धान्त का पालन नहीं कर आदेश पारित करने में अपर आयुक्त द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक को सात दिवस में लिखित तर्क प्रस्तुत करना था, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं !

5/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के सदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन की कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को सूचना दिया जाकर, स्थायी सीमा चिन्हों से विधिवत सीमांकन किया गया है । राजस्व निरीक्षक, पटवारी तथा अन्य साक्षियों के कथन भी लिये गये हैं, जिनके द्वारा अनावेदक कमांक 1 व 2 की भूमि पर आवेदकगण का अवैध कब्जा प्रमाणित किया गया है । आवेदकगण द्वारा सीमांकन कार्यवाही को कोई चुनौती नहीं दिये जाने से वह अन्तिम हो गया है । अतः तहसील न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदकगण को बेदखल करने के आदेश पारित करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । 1997 आर.एन. 92 देउबाई तथा अन्य विरूद्ध बिहारी लाल तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है :–

> ''धारा 250 तथा 129–धारा 129 के अधीन सीमांकन पूर्व में ही किया गया–धारा 250 के अधीन पश्चातवर्ती कार्यवाही में सीमांकन के ऐसे आदेश को आक्षेपित नहीं किया जा सकता है ।''

उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करने में अवैधानिकता की गई है, इसलिए उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18–4–2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर